राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
Phone No. 141-2229981 E mail ID: cojsy.nhm@gmail.com

क्रमांक : F (11)/NHM/RCH/JSY/OJAS/2016/ 119 दिनांक : 12/8/16

समस्त अधीक्षक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
समस्त संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

विषय : ओजस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करवाये जा रहे नवीन प्रावधान, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के ऑनलाईन भुगतान के संबंध में एवं शुभलक्ष्मी योजना की द्वितीय किश्त के ऑनलाईन भुगतान के क्रम में विस्तृत दिशा–निर्देश।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्रांक F (2) NHM/RCH/JSY/DBT/PART/109 दिनांक 01.08.16 एवं F (14) NHM/RCH/MH/M.RajShree.Yojana/29 दिनांक 26.05.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ओजस सॉफ्टवेयर पर नवीन प्रावधान सभी ओजस संबंधित संस्थाओं को उपलब्ध करवाये जा रहे है। जिसमें मुख्यमंत्री राजश्री योजना के ऑनलाईन भुगतान जारी किये जाने की युटिलिटि, केस वेरिफिकेशन व केस सेंक्शन की नवीन युटिलिटि, संयुक्त निदेशक स्तर से भुगतान जारी करने की व्यवस्था एवं शुभलक्ष्मी योजना की ऑनलाईन द्वितीय किश्त जारी किये जाने की युटिलिटि उपलब्ध करवायी जा रही है। ओजस सॉफ्टवेयर पर किये गये इन नवीन प्रावधान के अनुसार उक्त योजनाओं की ऑनलाईन भुगतान हेतु प्रक्रिया एवं निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है: –

(अ) <u>केस वेरिफिकेशन, केस सेंक्शन, संयुक्त निदेशक स्तर से भुगतान जारी करने के नवीन प्रावधान</u> :–

- ओजस सॉफ्टवेयर पर जननी सुरक्षा योजना, शुभलक्ष्मी योजना व राजश्री योजना के पृथक–पृथक होमपेज एन्ट्री पार्ट पर उपलब्ध करवाये जा रहे है। उक्त में से किसी भी योजना के विकल्प का चयन करने पर योजनानुसार केस वेरिफिकेशन, केस सेंक्शन व ऑनलाईन भुगतान जारी करने की प्रक्रिया की जावेगी।
- केस वेरिफिकेशन, केस सेंक्शन व ऑनलाईन भुगतान की प्रक्रिया को प्रत्येक योजना अनुसार पृथक–पृथक किया जायेगा।
- पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर पूर्व की भाँति जेएसवाई क्लेम फार्म की ऑनलाईन प्रविष्टि की जावेगी।
- ओजस सॉफ्टवेयर पर किये गये नवीन प्रावधान अनुसार केस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को वेरिफाई यूजर द्वारा किया जाकर वेरिफाईड केसेज को सेंक्शन यूजर को प्रेषित/फोर्वड किया जायेगा।
- केस वेरिफिकेशन के पश्चात केस सेंक्शन की प्रक्रिया को सेंक्शन यूजर द्वारा किया जावेगा, इस प्रकार सेंक्शन यूजर द्वारा ऑनलाईन भुगतान की अनुशंषा संयुक्त निदेशक संभाग स्तर को प्रेषित की जावेगी।
- सेंक्शन यूजर द्वारा भुगतान हेतु जारी की गई स्वीकृति के आधार पर, संयुक्त निदेशक द्वारा संभाग के जिलों के ओजस संस्थानों हेतु ऑनलाईन भुगतान जारी किया जायेगा।
- प्रतिदिन संयुक्त निदेशक द्वारा पंजीकृत डीएससी के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान जारी किया जायेगा।
- सभी ओजस संबंधित संस्थानों पर, केस वेरिफिकेशन हेतु वेरिफाई व्यक्ति (नामित अधिकारी) की वेरिफिकेशन लॉगईन यूजर आईडी पूर्व में ही अस्तित्व में है।
- सभी ओजस संबंधित संस्थानों हेतु सेंक्शन यूजर की आईडी जिला स्तर से बनाई जायेगी। इस हेतु राज्य स्तर पर भी डीईओ सेल से सम्पर्क कर सेंक्शन यूजर की आईडी अविलम्ब बनाई जा सकती है।
- वेरिफाई यूजर व सेंक्शन यूजर दोनों पृथक–पृथक नामित कर्मचारी/अधिकारी होगें।

- पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर जेएसवाई क्लेम फार्म की ऑनलाईन प्रविष्टि के पश्चात केस विवरण वेरिफाई यूजर को प्राप्त होगा। वेरिफाई यूजर द्वारा प्रत्येक केस विवरण को जॉचने के उपरान्त, सही पाये जाने पर ही केस को वेरिफाई करते हुये सेंक्शन यूजर को प्रेषित किया जायेगा।
- किसी भी केस में जेएसवाई क्लेम फार्म की ऑनलाईन एन्ट्री के समय त्रुटि पाये जाने पर वेरिफाई यूजर द्वारा केस का वेरिफिकेशन रोका जा सकेगा।
- वेरिफाई यूजर द्वारा सेंक्शन यूजर को प्रेषित किये गये सभी केसेज को पुनः सेंक्शन यूजर द्वारा जॉचा जावेगा तथा किसी भी केस प्रविष्टि में त्रुटि पाये जाने पर सेंक्शन यूजर द्वारा भुगतान की अनुशंषा जारी नहीं की जावेगी।
- वेरिफाई यूजर द्वारा अनमार्क किये गये केसेज में जेएसवाई क्लेम फार्म जे–3 में एडिट का विकल्प उपलब्ध होगा।
- सेंक्शन यूजर द्वारा रोके गये केसेज को अनमार्क करने पर पुनः वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। सेंक्शन यूजर द्वारा किसी भी केस को पुनः वेरिफिकेशन हेतु अनमार्क उसी दिवस (रात्रि 12:00 बजे से पुर्व) में किया जा सकेगा।
- सभी ओजस संबंधित संस्थान प्रभारी अधिकारी, वेरिफाई यूजर व सेंक्शन यूजर को अलग अलग नामित करेगें अर्थात केस वेरिफिकेशन का कार्य पृथक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार केस सेंक्शन का कार्य पृथक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- संस्थान प्रभारी अधिकारी द्वारा संस्थान पर वेरिफाई यूजर हेतु चिकित्सा अधिकारी, सीनियर नर्सिंग कर्मचारी, लेखा एवं लिपिक कर्मचारी आदि को नामित किया जा सकता है। जिन संस्थाओं पर लेखाकार कार्यरत है (नियमित/एनएचएम) उन संस्थाओं पर केस को वेरिफाई करने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से उन्ही की होगी।
- भुगतान अनुशंषा जारी करने हेतु सेंक्शन यूजर केवल संस्थान के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/नामित जेएसवाई नोडल चिकित्सा अधिकारी ही होगें।

(ब) **शुभलक्ष्मी योजना की ऑनलाईन द्वितीय किश्त के भुगतान के संबंध में।**

ओजस सॉफ्टवेयर पर शुभलक्ष्मी योजना के द्वितीय किश्त के ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करवायी जा रही है। जिसके अन्तर्गत शुभलक्ष्मी योजना का द्वितीय परिलाभ ऑनलाईन निम्नानुसार प्रक्रिया करते हुये दिया जा सकेगा : –

- ओजस सॉफ्टवेयर में शुभलक्ष्मी योजना के विकल्प पर चयन करने पर शुभलक्ष्मी योजना हेतु पृथक से होम पेज उपलब्ध होगा।
- होम पेज के मेन्यू बार में, वेरिफिकेशन मेन्यू को चयन करने पर द्वितीय किश्त के ऑनलाईन परिलाभ हेतु (Entry for II^nd^ Installment, Entry for II^nd^ Installment through PCTS, Verification of II^nd^ Installment)विकल्प उपलब्ध होगें।
- Entry for II^nd^ Installment विकल्प का चयन करने पर List of Infant for SLY II^nd^ Installment उपलब्ध होगी। इसके अन्तर्गत संबंधित संस्थान पर दिनांक 01.08.2015 के पश्चात हुये प्रसव जिनमें जीवित बालिका का जन्म हुआ है, इन सभी केसेज में से द्वितीय परिलाभ हेतु सभी Eligible Cases की सूची उपलब्ध होगी। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक केस को चयन करते हुये बालिका के जीवित होने का प्रमाणीकरण, बालिका का नाम एवं बैंक खाता संख्या विवरण आदि अपडेट किया जा सकेगा।
- किसी भी केस में बैंक खाता संख्या बदलाव किये जाने से पूर्व कारण स्पष्ट करने होगें। इस प्रकार प्रत्येक केसवार पूर्ण प्रविष्टि की जाने पर केस को वेरिफाई प्रक्रिया हेतु Submit किया जा सकेगा।
- Entry for II^nd^ Installment through PCTS विकल्प का चयन करने पर किसी भी ओजस संबंधित संस्थान पर हुये प्रसव केस को किसी भी ओजस संस्थान द्वारा पीसीटीएस आईडी के आधार पर सर्च किया जा सकेगा। तत्पश्चात केस को चयन कर संबंधित डेटा प्रविष्टि कर वेरिफाई प्रक्रिया हेतु Submit किया जा सकेगा।
- Verification of II^nd^ Installment विकल्प का चयन करने पर प्रदर्शित सूची अनुसार प्रत्येक केसवार चयन करने पर केस को वेरिफाई किया जा सकेगा।
- 01 अगस्त, 2015 से 31 मई 2016 के मध्य की अवधि में, किसी भी ओजस संबंधित संस्थान में जन्म लेने वाली जीवित बालिका को, शुभलक्ष्मी योजना की द्वितीय किश्त योजना के प्रावधान

अनुसार, किसी भी ओजस संबंधित संस्थान द्वारा केस को उक्तानुसार वेरिफाई करने के पश्चात् सेंक्शन करते हुये ऑनलाईन भुगतान प्रकिया को किया जा सकेगा।

- इसमें महिला (लाभार्थी) द्वारा बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर जीवित होने का प्रमाण पत्र, पूर्व में शुभलक्ष्मी योजना का प्रथम परिलाभ किसी भी ओजस संबंधित संस्थान से प्राप्त कर लिया है के संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपि (बैंक पासबुक की छाया प्रति), बालिका के एक वर्ष पूर्ण होनें पर उम्र अनुसार पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। (ममता कार्ड/टीकाकरण कार्ड)
- राज्य के प्रत्येक चिकित्सा संस्थान प्रभारी की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके अधिनस्त रहने वाले लाभार्थीयों को द्वितीय किश्त का समय पर भुगतान व्यक्तिशः रूचि लेते हुये करवाया जावे, चाहे उनका प्रसव अन्य ओजस संस्थान पर राज्य में कही पर भी हुआ हो। **(आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रपत्र "अ" व "ब" संलग्न है।)**

(स) <u>मुख्यमंत्री राजश्री योजना के ऑनलाईन भुगतान के संबंध में दिशा–निर्देश।</u>

- इस कार्यालय के संदर्भित पत्रांक (क्रमांक : 29 दिनांक 26.05.2016) के द्वारा जारी निर्देशों में संशोधन करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चतर राजकीय चिकित्सा संस्थानों जिन पर ओजस के माध्यम से जननी सुरक्षा योजना का भुगतान किया जा रहा है। इन संस्थानों पर दिनांक 15 अगस्त, 2016 से जीवित बालिका के जन्म पर (14 अगस्त, 2016 रात्रि 12:00 बजे के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं) देय मुख्यमंत्री राजश्री योजना का परिलाभ ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन दिया जावेगा।
- 1 जून, 2016 से दिनांक 14 अगस्त, 2016 तक समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चतर राजकीय चिकित्सा संस्थानों जिन पर उक्त अवधि के दौरान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ जो कि रेखांकित चैक के माध्यम से लाभार्थियों को जारी किये गये है। ऐसे सभी केसेज (पीसीटीएस आईडी) में जारी किये गये चैकों का विवरण ओजस सॉफ्टवेयर पर आगामी सात दिवस के भीतर सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन प्रविष्ट किया जाना है।
- इसके लिए ओजस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध राजश्री योजना एन्ट्री पार्ट (होमपेज) से प्रोसेस करते हुए, चैक डिटेल्स विकल्प में जाकर प्रत्येक पीसीटीएस आईडी के अपडेट चैक डिटेल को सलेक्ट करते हुये, जारी किये गये चैक के विवरण में चैक राशि, चैक नम्बर, चैक जारी करने की दिनांक व बैंक विवरण आदि प्रविष्ट व जॉचते हुये किया जाना है।
- ओजस संबंधित संस्थाओं पर दिनांक 14 अगस्त, 2016 रात्रि 12:00 बजे के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के केसेज में लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ हेतु चैक जारी नहीं किये जायेगें।
- ओजस संबंधित संस्थाओं के अतिरिक्त शेष सभी संस्थानों पर राजश्री योजना का परिलाभ पूर्व की भॉति Account Payee चेक के माध्यम से ही दिया जावेगा।

(द) <u>विशेष ध्यान देवें:–</u>

"सभी ओजस संबंधित संस्थान प्रभारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि आगामी योजनानुसार ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा जननी सुरक्षा योजना एवं राजश्री योजना के लाभार्थियों के केसेज में माननीय मुख्यमंत्री महोदया की आवाज में Voice Message भेजा जाना प्रस्तावित है। अतः महिला के डिस्चार्ज के समय नवजात शिशु/मॉ के जीवित होने की सही सही प्रविष्टि की जानी है, साथ ही लाभार्थी का मोबाईल नम्बर भी सही सही प्रविष्ट किया जावे जिससे की वास्तविक लाभार्थी को ही उचित संदेश प्रेषित हो पाये"।

"साथ ही लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाता संख्या विवरण को भलीभॉति जॉचकर ही केस को वेरिफाई करें ताकि लाभार्थी के मोबाईल पर संदेश पहुँचने के साथ–साथ, भुगतान पहुँचने में विलम्ब ना हों।"

(य) <u>विभिन्न स्तर पर जिम्मेदारियॉ एवं दायित्व : –</u>

❖ **<u>ओजस संबंधित संस्थान</u>**

- सभी ओजस संबंधित संस्थान प्रभारी/नामित नोडल अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखेगें की पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन प्रविष्ट किये जा रहे जेएसवाई क्लेम फार्म की कम्प्यूटर ऑपरेटर/संबंधित कर्मचारी द्वारा ध्यान पूर्वक प्रविष्टि करवाई जावें।

- सभी ओजस संबंधित संस्थान प्रभारी सभी संबंधित पेरामेडिकल स्टॉफ को अवगत कराते हुये यह सुनिश्चित करावें की जेएसवाई क्लेम फार्म में उनके द्वारा भरे जा रहे प्रसव का विवरण/डिस्चार्ज के विवरण सही सही भरते हुये, भली भाँति जॉच करने के उपरान्त ही, उनके द्वारा भरे गये जेएसवाई क्लेम फार्म को कम्प्यूटर ऑपरेटर/संबंधित कर्मचारी को ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने हेतु उपलब्ध करावे।
- सभी ओजस संबंधित संस्थान प्रभारी/नामित नोडल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करे कि प्रसूता के डिस्चार्ज के साथ ही जेएसवाई क्लेम फार्म की ऑनलाईन प्रविष्टि पूर्ण कराई जावे। साथ ही प्रसूता के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लिये जावे ताकि डिस्चार्ज के समय ही ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुये भुगतान प्रक्रिया की जा सके।
- सभी ओजस संबंधित संस्थान प्रभारी/नामित नोडल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर जेएसवाई क्लेम फार्म की ऑनलाईन प्रविष्टि के उपरान्त उसी दिन तुरन्त ही केस वेरिफिकेशन व केस सेंक्शन की प्रक्रिया की जावे।
- किसी भी संस्थान द्वारा महिला के बैंक खाता विवरण की ऑनलाईन प्रविष्टि करते समय किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जावेगी, बैंक खाता विवरण केवल वास्तविक लाभार्थी (प्रसुता) का ही दर्ज किया जायेगा। किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाता विवरण को ऑनलाईन ईन्द्राज किये जाने पर इसे वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में माना जायेगा।
- जेएसवाई क्लेम फार्म की ऑनलाईन प्रविष्टि के दौरान मोबाईल नम्बर व अन्य सभी विवरण सही सही प्रविष्ट किये जायेगें।
- किसी भी स्तर पर ऑनलाईन प्रविष्टि, केस वेरिफिकेशन एवं केस सेंक्शन प्रक्रिया में विलम्ब नहीं होना चाहिए। सभी संस्थान प्रभारी यह व्यक्तिशः सुनिश्चित करेगें कि प्रसुता द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के उपरान्त ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विलम्ब ना किया जावे।
- ओजस संबंधित संस्थान स्तर पर ऑनलाईन प्रविष्टि, केस वेरिफिकेशन एवं केस सेंक्शन प्रक्रिया के पश्चात ही/संस्थान द्वारा जारी की गई अनुशंषा के आधार पर ही ऑनलाईन केसेज डेटा संयुक्त निदेशक स्तर को ऑनलाईन भुगतान जारी करने हेतु प्रेषित होगें। अतः सभी ओजस संबंधित संस्थान प्रभारी/नामित नोडल अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि पूर्ण प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक किया जावे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जावे।

❖ **खण्ड स्तर**

- समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक/खण्ड लेखा प्रबंधक, खण्ड के अधीन समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान कार्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा करेगें।
- समस्त खण्ड लेखा प्रबंधक खण्ड के अधीन आने वाली सभी ओजस संस्थाओं पर ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान की योजना अनुसार नियमित लेखा एवं वित्तीय समीक्षा (Physical & Financial) करेंगे।
- खण्ड के अधीन आने वाली सभी संस्थाओं की पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर एएनसी लाईनलिस्टिंग के विरूद्ध एएनसी केसेज में सॉफ्टवेयर पर दर्ज महिलाओं के बैक खाता विवरण की प्रगति की नियमित समीक्षा करेगें। साथ ही खण्ड स्तरीय मासिक बैठकों में उप केन्द्रवार, प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार प्रगति की समीक्षा करते हुये बैंक खाता विवरण की लाईन लिस्टिंग आरसीएच रजिस्टर से शत–प्रतिशत होना सुनिश्चित करायेगें।
- समस्त खण्ड आशा फेसिलिटेटर एवं पीएचसी आशा सुपरवाईजर, पीएचसी स्तर पर होने वाली सेक्टर बैठकों में उप केन्द्रवार व प्रत्येक ऑगनबाडी पर कार्यरत आशा सहयोगिनी के अनुसार उनके अधीन आने वाले जनसंख्या कार्यक्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की गणना करते हुये, प्रत्येक गर्भवती महिला के एएनसी के दौरान ही महिला से बैंक खाता विवरण प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करायेगें।
- समस्त खण्ड स्तरीय अधिकारी/खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, सा.स्वा. केन्द्र/प्रा. स्वा. केन्द्र अधिकारी, समस्त खण्ड आशा फेसिलिटेटर, एलएचवी एवं पीएचसी आशा सुपरवाईजर, यह सुनिश्चित करेगें कि जिन गर्भवती महिलाओं का बैंक खाता नहीं खुलवाया गया हो इस स्थिति में प्रत्येक गर्भवती महिला से आशा सहयोगिनी एवं एएनएम के माध्यम से व्यक्तिशः सम्पर्क करते हुये महिला का

बैंक खाता एएनसी के दौरान ही खुलवाये जाने हेतु प्रोत्साहित करेगें व बैंक खाता विवरण प्राप्त करने के साथ ही इसकी प्रविष्टि पीसीटीएस साफ्टवेयर पर ईन्द्राज करवाना सुनिश्चित करायेगें।

❖ **जिला स्तर**

- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अन्य जिला अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेगें कि आपके द्वारा की जा रही फिल्ड विजीट में ओजस संबंधित संस्थानों पर भ्रमण के दौरान ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया कार्य को भी मॉनिटर करेगें साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेगें कि प्रसुती केस शीट को संबंधित पेरा मेडिकल स्टॉफ द्वारा सही सही भरा जावे।
- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक एवं जिला नोडल अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेगें कि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक एवं आपके द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों में ओजस कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जावे साथ जिन संस्थानों में ऑनलाईन भुगतान में अन्तर आ रहा है, उनके कारणों को ज्ञात करते हुये अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायेगें।
- समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक एवं जिला नोडल अधिकारी को यह अवगत कराते हुये निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के अधीन समस्त ओजस संबंधित संस्थाओं पर ओजस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु आवश्यकतानुसार भ्रमण सुनिश्चिल करेगें तथा संस्थान स्तर पर आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
- समस्त जिला लेखा प्रबंधक जिले के अधीन आने वाली सभी ओजस संस्थाओं पर ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान की योजना अनुसार नियमित लेखा एवं वित्तीय समीक्षा (Physical & Financial) करेंगे।
- समस्त जिला आशा समन्वयक को निर्देशित किया जाता है कि पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध रिपोर्ट ऑन लाईन लिस्ट मैन्यू से जिला स्तर पर दर्ज एएनसी लाईनलिस्टिंग के विरूद्ध प्रविष्ट किये गये महिलाओं के बैंक खाता विवरण की प्रगति को नियमित रूप से समीक्षा कराते हुये, समस्त खण्ड आशा फेसिलिटेटर, पीएचसी आशा सुपरवाईजर के माध्यम से समस्त आशा सहयोगिनियों को महिला के बैंक खाता संख्या एएनसी के दौरान ही उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करेगें। जिससे की एएनसी के दौरान ही पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में महिला के बैंक खाता सख्या को प्रविष्ट कराया जा सके।
- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सभी एलएचवी एवं एएनएम को पाबन्द करे कि महिला के एएनसी के दौरान ही बैंक खाता प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रोत्साहन प्रयास किये जावें। साथ ही इसकी साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा होना सुनिश्चित करावें।

❖ **संयुक्त निदेशक स्तर**

- सभी संयुक्त निदेशक को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रतिदिन प्राथमिकता से 10 बजे तक ऑनलाईन भुगतान जारी किया जाना है। आपको प्राप्त होने वाला ऑनलाईन डेटा संस्थान स्तर से सेंक्शन प्रक्रिया के दौरान जारी की गई अनुशंषा के आधार पर ही प्राप्त होगा।
- सभी संयुक्त निदेशक ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करेगें। जिन जिलों अथवा संस्थानों पर भुगतान में विलम्ब किया जावे, गलत ऑनलाईन प्रविष्टि की जावे अथवा किसी भी अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती जावे तो आपके स्तर से अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना सुनिश्चित करावें।

❖ **राज्य स्तर**

ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान कार्यक्रम को हर स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जायेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर उच्चतर राजकीय चिकित्सा संस्थान (ओजस संबंधित संस्थान), खण्ड स्तर, जिला स्तर एवं संयुक्त निदेशक स्तर पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को ऑनलाईन कार्यक्रम एवं प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर तकनीकि एवं अन्य आवश्यक सहयोग हेतु राज्य स्तर पर ओजस सेल (8290266668) एवं स्टेट डेमोग्राफर सेल पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उक्त निर्देश ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया के संबंध में जारी किये जा रहे है। इन योजनाओं के मूल दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

विशिष्ठ शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :–

1 निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), जयपुर।
5 निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक एवं निदेशक आई.ई.सी., जयपुर।
6 आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7 समस्त जिला कलक्टर।
8 उप शासन सचिव, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
9 परियोजना निदेशक एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
10 निदेशक – जन स्वास्थ्य मुख्यालय, जयपुर।
11 निदेशक वित, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर/वित्तीय सलाहकार, प.क.।
12 अतिरिक्त निदेशक, आरसीएच, मुख्यालय, जयपुर।
13 राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
14 परियोजना निदेशक – मातृ स्वास्थ्य/बाल स्वास्थ्य/टीकाकरण/प.क. मुख्यालय, जयपुर।
15 स्टेट डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी, मुख्यालय जयपुर।
16 राज्य वित्त प्रबंधक/राज्य लेखा प्रबंधक।
17 सलाहकार जेएसवाई/आईटी/नोडल ऑफिसर जेएसवाई।
18 समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प.क./स्वास्थ्य।
19 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक/जिला नोडल अधिकारी/जिला आशा समन्वयक।
20 समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड कार्यक्रम प्रबन्धक, खण्ड लेखा प्रबंधक/खण्ड आशा फेसिलिटेटर समस्त जिले।
21 समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी – उप जिला अस्पताल/सेटेलाईट अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त जिले।
22 समस्त चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/समस्त पीएचसी आशा सुपरवाईजर, समस्त जिले।
23 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त जिलों में एवं सम्बन्धितों को ई–मेल द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
24 रक्षित पत्रावली।

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

शुभलक्ष्मी योजना की ऑनलाईन द्वितीय किश्त के लिये आवेदन एवं प्रमाण पत्र

आवेदन पत्र

मैं (महिला का नाम) .... प्रमाणित करती हूँ कि मेरी बेटी जिसका जन्म दिनांक .... को .... संस्थान पर हुआ था (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेटेलाईट अस्पताल, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज संबंधित अस्पताल) दिनांक. .... को मेरी बेटी एक वर्ष की हो गई है। मेरी बेटी के प्रथम जन्म दिवस पर जीवित होने के साथ उसे एक वर्ष तक के उम्रानुसार सभी टीके लगवा दिये गये है। (ममता कार्ड/टीकाकरण कार्ड संलग्न है) मेरे द्वारा मेरी बेटी के जीवित जन्म पर देय शुभलक्ष्मी का प्रथम परिलाभ प्राप्त कर लिया गया है। (बैंक पासबुक की छाया प्रति संलग्न है)

प्रार्थिया के हस्ताक्षर/अगुंठेकानिशान

नाम :
पता :
मोबाईल नं. :

प्रमाण पत्र

मैं .... पद..(पद स्थापन स्थान) ....प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी व रिकोर्ड के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर

(एएनएम/पार्षद/प्रभारीडिस्पेनसरी/
प्रभारी शहरी चिकित्सा संस्थान/राजपत्रित अधिकारी)
नाम :
पदस्थापनस्थान :

प्रपत्र–ब

शुभलक्ष्मी योजना की ऑनलाईन द्वितीय किश्त जारी किये जाने हेतु सत्यापन पत्र

संस्थान का नाम .... खण्ड .... जिला ....

प्रमाणित किया जाता है कि महिला/पति का नाम .... पीसीटीएस आईडी .... का प्रसव (01 अगस्त, 2015 से 31.05.2016 के मध्य की अवधि में) दिनांक .... को .... राजकीय चिकित्सा संस्थान (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेटेलाईट अस्पताल, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज संबंधित अस्पताल) में हुआ था अथवा इसी चिकित्सा संस्थान पर हुआ है। पीसीटीएस आईडी के द्वारा महिला के केस विवरण को ओजस/ पीसीटीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से महिला के प्रसव का स्थान, प्रसव की दिनांक को मिलान कर लिया गया है। टीकाकरण कार्ड द्वारा बालिका के पूर्ण टीकाकरण की प्रविष्टि जॉच ली गई है।

(परिलाभ महिला के स्वंय के बैंक खाते में ही स्थान्तरित किया जावे, यदि महिला द्वारा बैंक खाता विवरण परिवर्तित किया जा रहा है तो संबंधित ओजस संस्थान प्रभारी/नामित अधिकारी यह सुनिश्चित किया जावे कि महिला द्वारा संशोधित कराये जा रहे बैंक खाता विवरण हेतु, बैंक पासबुक की छाया प्रति उपलब्ध करवा दी गई है)

प्राधिकृत अधिकारी/नामित अधिकारी/कर्मचारी

हस्ताक्षर :

नाम व पद नाम :

दिनांक :

नोट :प्रपत्र अ में उल्लेखित महिला का ऑनलाईन भुगतान जिस संबंधित ओजस संस्थान से किया जा रहा है, उस संस्थान द्वारा यह प्रपत्र भरा जायेगा।